

पुलिस मुठभेड़ में लूट में वांछित एक शातिर गैंगेस्टर (25 हजार का इनामिया) घायल/गिरफ्तार, कब्जे से लूट का 9710 रुपये, एक अदद मोबाईलफोन, एक मो0साईकिल (सूपर स्प्लेंडर) एवं एक अवैध तमंचा व

03 खोखा/जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 02/03.11.2024 को रात्रि देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरवां कंक्रीट प्लाण्ट के पास से प्रातः लगभग 04:40 बजे पुलिस मुठभेड़ में थाना कोपागंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 274/24 धारा 305, 331(6), 324(4), 317(2), 317(4), 238 बीएनएस में वांछित एक शातिर अपराधी व गैंगेस्टर दीपक उर्फ देवदत्त गौड़ पुत्र श्यामप्यारे निवासी ब्रम्हस्थान थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ (25 हजार का इनामिया) घायल हो गया, जिसके कब्जे से एक मोटरसाईकिल सूपर स्प्लेंडर एवं एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 खोखा एवं 01 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा लूट का एक 9710 रुपये, एक अदद मोबाईलफोन बरामद कर घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जवाबी फायरिंग में उक्त के बांये पैर में गोली लगी है जिसका इलाज कराया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02/03.10.2024 की रात्रि देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सरवां कंक्रीट प्लाण्ट पास से उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक उर्फ देवदत्त गौड़ पुत्र श्यामप्यारे निवासी ब्रम्हस्थान थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद मोबाईलफोन, 9710 रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल सुपर स्पेण्डर (यूपी54एआर6588) बरामद किया गया था। पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया था कि वह और उसका साथी उपरोक्त नितेश पुत्र पिण्टू व सत्येन्द्र पुत्र मुंशी के साथ मिलकर दिनांक 10.10.2024 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत डाडी चट्टी में देशी शराब की दुकान में से चोरी किया था। व दिनांक 25/26.10.2024 को जनपद गाजीपुर सलामतपुर चट्टी में देशी शराब की दुकान में लुट किये थे। तथा 18.10.2024 को कोईरीयापार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ व ग्राम बबुरा थाना जहानागंज आजमगढ़ देशी शराब की दुकान से चोरी किये थे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1. दीपक उर्फ देवदत्त गौड़ पुत्र श्यामप्यारे निवासी ब्रम्हस्थान थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़। (25 हजार का इनामिया)

बरामदगी-

1. एक मो0साईकिल सूपर स्प्लेंडर।
2. एक अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
3. लूट/चोरी का 9710 रुपये।

4. एक अदद मोबाइलफोन रियलमी।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक नवल किशोर सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।

प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

उ०नि० सतीश कुमार यादव, हे०का० धन्नजय पाण्डेय, का० संजय , का० अजय , का० विजय थाना कोपागंज जनपद मऊ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 19/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 149/20 धारा 380,411,457,34 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़।
3. मु०अ०सं० 246/20 धारा 34, 380, 411, 457, भादवि थाना रौनापार आजमगढ़।
4. मु०अ०सं० 464/20 धारा 457,380,411 भादवि थाना दोहरीघाट मऊ।
5. मु०अ०सं० 557/24 धारा 109, 3(5), बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जाहानागंज आजमगढ़।
6. मु०अ०सं० 274/24 धारा 317(4),317(2),324(4),331(6),305,238 बीएनएस थाना कोपागंज मऊ।
7. मु०अ०सं० 554/24 धारा 309(6), 323, 351(2) बीएनएस थाना जाहानागंज आजमगढ़।
8. मु०अ०सं० 544/24 धारा 309(4),352,351(2),324(4) बीएनएस थाना जाहानागंज आजमगढ़।
9. मु०अ०सं० 371/24 धारा 317(2),309(4) बीएनएस थाना कासिमाबाद गाजीपुर।
10. मु०अ०सं० 01/21 धारा 41,411,414 भादवि थाना दोहरीघाट मऊ।